कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग।

–:आवश्यक–सूचना:–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग की बैठक दिनांक **24.08.2017** को पूर्वाह्न **11:30** बजे से आयुक्त–सह–अध्यक्ष, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के सभा–कक्ष में होगी। उक्त बैठक में सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों पर वातानुकूलित बस सेवा, सामान्य बस सेवा एवं ग्रामीण बस सेवा से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक **31.07.2017** अपराह्न **5:00** बजे तक निर्धारित की गयी है। समय–सारिणी का प्रकाशन दिनांक **02.08.2017** तक **Hazaribag.nic.in** के **website** पर एंव कार्यालय के सूचना पट पर कर दिया जाएगा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक **09.08.2017 अपराह्न 5:00** बजे तक निर्धारित की गयी है।

1. आवेदन विहित प्रपत्र में मान्य शुल्क एवं संबंधित वाहन के अद्यतन कागजातों यथा निबंधन पुस्तिका, अद्यतन कर प्रतीक, दुरूस्ती प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण–पत्र (कम से कम दिनांक 24.08.2017 तक मान्य) एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र छाया–प्रति की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ होना चाहिए,
2. आवेदन पत्र के साथ आवेदक का हस्ताक्षरित दो पासपोर्ट साईज फोटो तथा समय–सारिणी का प्रस्ताव (कम्पयुटर द्वारा टाईप किया हुआ A4 साईज पाँच (5) प्रति में) आवेदक के हस्ताक्षर सहित संलग्न होना चाहिए साथ ही आवेदन पत्र में वाहन स्वामी का मोबाईल नं0 अनिवार्य रूप से एवं यथासंभव Email Id का उल्लेख करना सुनिश्चित करेगें,
3. आवेदन पत्र सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों पर ही होना आवश्यक है। आवेदन पत्र में मार्ग सं0 अंकित करना अनिवार्य है। मार्ग संख्या अंकित नहीं करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा,
4. पूर्व से किसी मार्ग पर परमिट से आवृत वाहन पर परमिट प्रत्यार्पण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आवेदन विचारार्थ बैठक में रखा जाएगा तथा स्थायी परमिट से आवृत वाहनों का प्रत्यार्पण के पश्चात् केवल स्थायी परमिट के लिए ही प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा,
5. वातानुकूलित बस सेवा अंतर्गत मार्ग राँची–हजारीबाग एवं राँची–गिरिडीह पर 5:00 बजे पूर्वाह्न से पहले एवं 8:00 बजे अपराह्न के बाद के समय पर अथवा रिक्त समय पर आवेदन समर्पित कर सकते हैं,
6. आवेदन पत्र के साथ एक स्व–घोषणा पत्र देना होगा जिसमें सभी कागजातों की सत्यता, वाहन के स्पेयर के संबंध में तथा प्रस्तावित समय–सारिणी दुसरे वाहन को निर्गत समय से टकराव रहित है एवं सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग पर आवेदन दिया गया है, का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा,
7. प्रतिहस्ताक्षर हेतु दिए जाने वाले आवेदन–पत्रों के साथ परमिट की प्रति, निबंधन–पुस्तिका, अद्यतन कर–प्रतीक, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र, बीमा प्रमाण–पत्र एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र छाया–प्रति की स्व–हस्ताक्षरित प्रति देना अनिवार्य होगा,
8. नवीकरण से संबंधित आवेदनों पर बैंक से वित्त प्रदत्त रहने पर संबंधित बैंक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा,
9. प्रस्तावित समय–सारिणी पर की जाने वाली आपत्ति संबंधित परमिट समय–सारिणी की स्व–हस्ताक्षरित प्रति एवं मान्य शुल्क के साथ दिये जाने पर ही आपत्तियों को विचार हेतु प्राधिकार की बैठक में सम्मिलित किया जाएगा। आपत्ति आवेदन में स्पष्ट रूप से आपत्ति बिंदु का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा,
10. नये कय किए गए वाहनों के आवेदन में कय प्रमाण पत्र के साथ बीमा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार स्वीकृत परमिटों के निर्गमण के पूर्व संबंधित वाहनों का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है,
11. परमिट की स्वीकृती के उपरांत परमिट निर्गमण के समय संबंधित वाहन का सभी मुल कागजात सत्यापन हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण आवेदन पर प्राधिकार की बैठक में विचारार्थ नहीं रखा जाएगा।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार।

उप–परिवहन आयुक्त सह सचिव
उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार
हजारीबाग।